

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

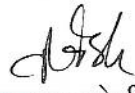
क्रमांक:- एफ. 4(ई)II/एपीओ/अलेसे-III/ 17345-55 दिनांक:- 22 अक्टूबर, 2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकार द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 8877-8977 दिनांक 24.05.2013 की अनुपालना में निदेशालय में दिनांक 27 मई से 28 जून 2013 तक आदेशों की प्रतीक्षा में रहने की अवधि के दौरान एवं उसके उपरान्त निरन्तरता में उपभोग किए गए आवेदित अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार स्वीकृत किए जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम लेखाकार मय पदस्थापन स्थान	कब से कब तक	कुल दिवस	अवकाश का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	श्री गजानन्द सारस्वत (लिंग नं. 9457) खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नोखा जिला बीकानेर	17 जून 2013 से 02 जुलाई 2013	16 दिवस	उपार्जित अवकाश

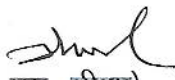
उक्त लेखाकारों के आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (दिनांक 27 मई से 28 जून 2013 तक) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ.2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 02.09.2013 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का वेतन नियमानुसार खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोखा जिला बीकानेर से आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 4(ई)II/एपीओ/अलेसे-III/17345-55 दिनांक:- 22 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके एफ.2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 02.09.2013 में सूचनार्थ।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावे।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय बीकानेर
- उपकोषालय नोखा जिला बीकानेर
- संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर।
- सम्बन्धित लेखाकार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत करके एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावे।
- उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- व्यक्तिगत पंजिका।
- रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)